-180-

मध्यप्रदेश शासन
गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय

क्रमांक.एफ.3–20 / 2014 / बी–3 / दो, भोपाल, दिनांक / 07 / 2014

प्रति,

अति0पुलिस महानिदेशक(दूरसंचार),
मुख्यालय,मध्यप्रदेश
भोपाल

विषयः–एक मुश्त केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत भोपाल शहर की सुरक्षा हेतु सी.सी.टी.वी सर्विलेंस सिस्टम लगाये जाने हेतु विस्तृत कार्ययोजना–प्रशासकीय स्वीकृति बावत्।

संदर्भः–आपका पत्र कं0 पुदसंसं / योजना / आयोजना मद / 131 दिनांक 22.06.2013

––00––

राज्य शासन एतद् द्वारा वित्तीय व्यय समिति की बैठक दिनांक 07.06.2014 में लिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में एकमुश्त केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत भोपाल शहर में सी.सी.टी.वी. आधारित सुरक्षा एवं निगरानी व्यवस्था की स्थापना हेतु कुल राशि रूपये 25.00 करोड (राशि रूपये पच्चीस करोड़ मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति निम्नानुसार शर्तो पर प्रदान की जाती है :–

"उपकरणों के रखरखाव की समुचित व्यवस्था की जावे। आवश्यकतानुसार कन्सल्टेन्ट की सेवायें पारदर्शी तरीके से प्राप्त की जावें। खुली निविदा अथवा ल.उ. नि. / डी.जी.एस.एण्ड.डी दर सूची पर सामग्री का क्रय किया जावे। इसी समय में जिन स्थानो पर सीसीटीवी कैमरा लगाया जाना है, उसमें थाना भवन भी शामिल किया जावें।"

2/ उक्त व्यय मांग संख्या–03–पुलिस 2055–पुलिस–109–जिला पुलिस 1501–अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)–7448 महानगरीय पुलिस सुरक्षा एवं राजमार्ग सुरक्षा, #51–अन्य प्रभार के अंतर्गत विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(भागीरथ सुनहरे)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन,गृह विभाग

क्रमांक.एफ.3–20 / 2014 / बी–3 / दो, भोपाल, दिनांक 24 / 07 / 2014

प्रतिलिपिः–

1. महालेखाकार म0प्र0 ग्वालियर।
2. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल।
3. पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय भोपाल।
4. आयुक्त कोष एवं लेखा मध्यप्रदेश पर्यावास भवन भोपाल।
5. अति0 पुलिस महानिदेशक (योजना) पुलिस मुख्यालय भोपाल।
6. संबंधित कोषालय अधिकारी।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

7. गार्ड फाईल।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन,गृह विभाग

L